

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय—आदेश,

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

#### कार्मिक का विवरण:-

क्र. स.	नाम कार्मिक मध्य पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	पूर्णम. वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजाया, जिला अलवर	03.08.1990	DUBAI (UNITED ARAB EMIRATES) दिनांक: 16.01.2022 से 22.01.2022 (कुल 07 दिवस)

#### शर्तें :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में वृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
  - कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण इनावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
  - कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई विचारणीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान के सूर्य सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठारों का पूर्ण पता मध्य पोबाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अर्थवैदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अमिलेख/सूचना की गोपनीयता में नहीं की जावेगी।

**सत्यमेव जयते**

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक शिविर—मा / संस्था / एफ—३ / 13320 / विदेश यात्रा / 2021 / पार्ट—१ / २३२  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

दिनांक: 12 JAN 2022

- 1— संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), जयपुर समाग, जयपुर।
- 2— जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अलवर।
- 3— सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कंप्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने वाला।
- 4— सदृश्यत संस्था प्रधान/ कार्मिक।
- 5— रक्षित पत्रादत्ती।

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

## कार्यालय निवेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय-आदेश

निम्नांकित कार्मिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।  
जिनका विवरण निम्नानुसार है -

#### कार्मिक का विवरण:-

क्र. सं	नाम कार्मिक भव्य पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान एवं अवधि
1	लक्ष्मी नारायण माती, परिष्ठ अध्यापक (गणित)	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जौहरखेड़ा, जिला अजमेर	05.10.1988	SHARJAH (UNITED ARAB EMIRATES) दिनांक: 19.01.2022 से 25.01.2022 (कुल 07 दिन)

#### शर्तेः-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान कीया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में दृष्टि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सहम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्ण निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेवे :-  
 ➤ कार्मिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय / संस्था का राजकीय कार्य / शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।  
 ➤ कार्मिक द्वारा अपना कार्यभार ऐसे भूलन्तरण वस्तावेजों का हस्तांतरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।  
 ➤ कार्मिक के विरुद्ध तत्समय नोई विभागीय जांच / कार्यवाही प्रस्तावित अध्यवा विचाराधीन नहीं है।  
 ➤ कार्मिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण लियत / विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उत्तर स्वीकृत अवधि हेतु ही मान्य है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्ण तन्मुखित कार्यालय को विदेश प्रवास में डहरने का पूर्ण पता भय भी बाईल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्तरात् से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवस्था/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख / सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

**सत्यमेव जयते**

**संयुक्त निवेशक (प्रविहान)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर**

क्रमांक: शिविर-मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2021/पार्ट-1/ **233**      दिनांक: **12 JAN 2022**  
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- संयुक्त निवेशक (स्कूल शिक्षा), अजमेर संभाग, अजमेर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अजमेर।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्राम, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने वाला।
- 4- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 5- रक्षित पत्रावली।

**संयुक्त निवेशक (प्रविहान)**

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्मिक को नियौती विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

#### कार्मिक का विवरण--

क्र. सं.	नाम कार्मिक मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	प्रीति महावर, अध्यापक लेवल-2 (सामाजिक विज्ञान)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देलवाड़ा, जिला अजमेर	22.06.1969	DUBAI (UNITED ARAB EMIRATES) दिनांक: 19.01.2022 से 25.01.2022 (कुल 07 दिवस)

शर्तों :-

- कार्मिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्मिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्मिक को कर्तव्य से जानबुझाकर अनुपस्थित रहा माना जावेगा एवं उसके विलङ्घ आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में यूड़ि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्वागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्व निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंदे :-  
 ➤ कार्मिक को अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।  
 ➤ कार्मिक हारा अपना कार्यालय एवं सरकारी दस्तावेजों का हस्तांकरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।  
 ➤ कार्मिक के विलङ्घ तत्समय नाम विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित अध्या विचाराधीन नहीं है।  
 ➤ कार्मिक के विलङ्घ तत्समय कोई न्यायिक प्रकरण-लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही पात्त्व है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रदास में उहरने का पूर्ण पता मय भोवाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु बालवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विद्युतीय विनियम नहीं किया जाएगा एवं न ही राजकीय स्तर पर विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक हारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य-सरकार हारा समय-समय पर जारी निर्देशों को पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

**सत्यमेव जयते**

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविर—मा/संस्था/एफ—३/१३३२०/विदेश यात्रा/२०२१/पार्ट—१/२३। दिनांक: 12 JAN 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), अजमेर संभाग, अजमेर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक, अजमेर।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने वालत।
- 4- संबंधित संस्था प्रधान/कार्मिक।
- 5- रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)

## कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

### कार्यालय—आदेश

निम्नांकित कार्यिक को निजी विदेश यात्रा पर जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है।  
जिनका विवरण निम्नानुसार है -

#### कार्यिक का विवरण:-

क्र सं	नाम कार्यिक का मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	विदेश यात्रा पर जाने का स्थान व अवधि
1	मधु बाला जैन, अध्यापक (लेवल-1)	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाठरडा कलां, जिला उदयपुर	23.06.1965	UNITED ARAB EMIRATES दिनांक: 15.01.2022 से 24.01.2022 (कुल 10 दिन)

#### शर्तों :-

- कार्यिक सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत करवाये जाने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे।
- कार्यिक विदेश में स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे, अवकाश समाप्ति पश्चात् अपने कर्तव्य स्थान पर उपस्थिति प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत अवकाश अवधि के पश्चात् यदि कार्यिक अपने कर्तव्य स्थान पर अनुपस्थित रहता है तो उक्त कार्यिक को कर्तव्य से जानबुझकर अनुपस्थित रहा भाना जावेगा एवं उसके विरुद्ध आर.एस.आर 1951 के नियम 86 के प्रावधानान्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जाकर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- एक बार में स्वीकृत अवकाश में बृद्धि नहीं की जावेगी।
- विदेश से भिजवाया गया त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- सक्षम अधिकारी विदेश यात्रा हेतु अवकाश स्वीकृति से पूर्ण निम्नांकित की पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लेंगे :-
  - कार्यिक के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का राजकीय कार्य/शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं होगा।
  - कार्यिक द्वारा अपना कार्यभार एवं ऐक्यांशिक दस्तावेजों का संतातरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।
  - कार्यिक के विरुद्ध तत्समय कोई विभागीय जाच/कार्यवाही प्रस्तावित अथवा विचाराधीन नहीं है।
  - कार्यिक के विरुद्ध तत्समय कोई न्यायिक प्रक्रण लम्बित/विचाराधीन नहीं है।
- विदेश यात्रा की अनुमति उक्त स्वीकृत अवकाश अवधि हेतु ही मान है।
- विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्ण सम्बन्धित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय सोबाइल नम्बर आदि सूचित करेंगे।
- विदेश यात्रा हेतु अवकाश विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनियम नहीं किया जावेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी।
- विदेश यात्रा के दौरान कार्यिक द्वारा किया गया किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी।
- विदेश यात्रा के दौरान किसी राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जावेगी।

**सत्यमेव जयते**

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा—मा/संस्था/एफ-3/13320/विदेश यात्रा/2021/पार्ट-1/230  
प्रतीलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), उदयपुर संभाग, उदयपुर।
- 2- जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यमंत्री), माध्यमिक, उदयपुर।
- 3- सिस्टम एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने वाला।
- 4- संबंधित संस्था प्रधान/कार्यिक।
- 5- रक्षित पत्रावली।

दिनांक: 12 JAN 2022

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)